"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 जुलाई 2003—आषाढ़ 13, शक 1925

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जून 2003

क्रमांक 1420/1533/2003/1/2.—डॉ. के. के. चक्रवर्ती, भा. प्र. से. (1970), मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ को अपर मुख्य सचिव पदोन्नत करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ के पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है.

डॉ. के. के. चक्रवर्ती, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दायित्वों के साथ-साथ आगामी आदेश तक अपर मुख्य सचिव, वन, संस्कृति, शिक्षा विभाग एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन आयोग के क्षेत्रों से संबंधित प्रकरणों के संव्यवहरण) के कर्त्तव्यों का भी निर्वहन करेंगे.

डॉ. के. के. चक्रवर्ती द्वारा कार्यग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम 1954 के नियम 9 के अंतर्गत अपर मुख्य सचिव के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची 3 (ए) में सम्मिलित

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.

मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के पद के समकक्ष घोषित करता है.

रायपुर, दिनांक 17 जून 2003

क्रमांक ई-1-5/2003/1/2.—श्री बी. एल. ठाकुर, भा. प्र. से. (1989) विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ संचालक, संचालनालय भौमिक एवं खनिकर्म का अतिरिक्त कार्य सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मिश्र, मुख्य सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जून 2003

क्रमांक 3949/1628/21-ब/छ.ग./2003.—राज्य शासन एतद्द्वारा स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ, अधिनियम, 1985 (एन.डी.पी.एस.) के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय रायपुर में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु श्री अमित चौधरी अधिवक्ता, रायपुर को शासन द्वारा देय पारिश्रमिक पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभात शास्त्री, उप-सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 जून 2003

क्रमांक एफ-15-138/2002/नौ/17.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1187/आर/33/2001/स्वा. दिनांक 1-3-2001 द्वारा फार्मेसी अधिनियम, 1948 की धारा 30 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य में फार्मासिस्टों का प्रथम रजिस्टर तैयार करने के लिये पंजीयन अधिकरण (रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल) गठित किया गया एवं डॉ. के. एल. गोपावार को उक्त अधिकरण का रजिस्ट्रार एवं सचिव नियुक्त किया गया था. उक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. के. एल. गोपावार के स्थान पर डॉ. जे. एस. बैस, नेत्र रोग विशेषज्ञ (प्रभारी संयुक्त संचालक एड्स) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़ रायपुर को तत्काल प्रभाव से उक्त अधिकरण का रजिस्ट्रार एवं सचिव नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद सिंह, उप-सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जून 2003

क्रमांक डी-15/177/2003-04/14-3/4193.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, ग्राम वृन्दावन (छाल), तहसील धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ में स्थित खसरा नम्बर 124 और 126 की 1.580 हेक्टर भूमि सहित मण्डी क्षेत्र में की कोई संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उपमंडी प्रांगण के रूप में घोषित करती है. उक्त अधिनियम की धारा 3 तथा 4 के अधीन अधिसूचना पूर्व में प्रकाशित की जा चुकी है.

उपमंडी प्रांगण की सीमा

1. उत्तर में - कृषि भूमि.
2. दक्षिण में - कृषि भूमि.
3. पूर्व में - पक्की सड़क
4. पश्चिम में - कृषि भूमि.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. पी. राव, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 20 जून 2003

क्रमांक 4193, 4194/डी-15/177/2003-04/14-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20-6-2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. पी. राव, विशेष सचिव.

Raipur, the 20th June 2003

No. D-15/177/2003-04/14-3/4193.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) the State Government, hereby, declares the 1.580 hectare land khasra No. 124 and 126 in Village Vrindawan (Chhal), Tehsil Dharamjaygarh, District, Raigarh, including any Structure, enclosure open place or locality in market area, as a sub-market yard. The notification under section 3 and 4 of the said Act, has been previously published.

BOUNDARY OF SUB-MARKET YARD

1. On the North by - Agricultural land
2. On the South by - Agricultural land
3. On the East by - Pitch Road.
4. On the West by - Agricultural land

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K.D.P. RAO, Special Secretary.

रायपुर, दिनांक 23 जून 2003

क्रमांक 4207/डी-15/179/2003-04/14-3.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा ग्राम बाजार अतरिया तहसील खैरागढ़ जिला राजनांदगांव में स्थित खसरा नम्बर 660/1 की 5.00 एकड़ भूमि सहित मण्डी क्षेत्र में की कोई संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उपमंडी प्रांगण के रूप में घोषित करती है. उक्त अधिनियम की धारा 3 तथा 4 के अधीन अधिसूचना पूर्व में प्रकाशित की जा चुकी है.

उपमण्डी प्रांगण की सीमा

1. उत्तर में - सोनपुरी अतरिया मार्ग एवं नथेला मंदिर.
2. दक्षिण में - बीधन का जमीन.
3. पूर्व में - नहर नाली एवं पाठशाला
4. पश्चिम - हीरालाल का जमीन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. पी. राव, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 जून 2003

क्रमांक 4207/डी-15/179/2003-04/14-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23-6-2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. पी. राव, विशेष सचिव.

Raipur, the 23rd June 2003

No. 4207/D-15/179/2003-04/14-3/.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) the State Government, hereby, declares the 5.00 Acre land of khasra No. 660/1 in Village Bazar Atariya Tehsil Khairagarh, District Rajnandgaon, including any Structure, enclosure open place or locality in market area, as a sub-market yard. The notification under section 3 and 4 of the said Act has been previously published.

BOUNDARY OF SUB-MARKET YARD

1. On the North by - Sonpuri Atariya Road & Nathela Temple.
2. On the South by - Land of Beedhan.
3. On the East by - Canal & School.
4. On the West by - Land of Hiralal.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K.D.P. RAO, Special Secretary.

रायपुर, दिनांक 10 जून 2003

क्रमांक डी-15/14-3/60/2003/4108.—चूंकि इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30-5-2003 के अधीन राज्य सरकार ने जांजगीर-चांपा जिले में कृषि उपज मंडी सक्ती के क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन किया है;

और चूंकि छ. ग. कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 72 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा अपेक्षित है कि परिवर्तित क्षेत्र के लिये मंडी समिति का गठन किया जावे;

अतएव छ. ग. कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 72 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा :—

(1) विद्यमान कृषि उपज मंडी समिति सक्ती को विघटित करती है, और

(2) यह निर्देश देती है कि, प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, कृषि उपज मंडी सक्ती के परिवर्तित क्षेत्र के लिये उक्त अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत भारसाधक अधिकारी नियुक्त करेगा.

Raipur, the 10th June 2003

No. D-15/60/14-3/2003/4108.—Whereas, State Government vide notification even No. dated the 30-5-2003 has altered the limits of market area of the Agricultural produce market, Sakti of Janjgir-Champa District;

And whereas, constitution of a market committee for the altered area is required as per clause (a) of Sub-section (1) of the Section 72 of C. G. Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973);

Now therefore, in exercise of the power conferred by Section 72 of the C.G. Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby :—

(1) Dissolves the existing Agricultural produce market committee Sakti, and

(2) Directs that the Managing Director C.G. State Agricultural Marketing Board, shall appoint an officer incharge under Section 10 of said act, for the altered market area of Sakti Agricultural produce market.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. दवे, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 जून 2003

क्रमांक F-20-4/2003/(6)/11.—राज्य शासन एतद्द्वारा राज्य के अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों (जिला कोरिया, जिला दंतेवाड़ा तथा बिलासपुर जिले की पेण्ड्रा रोड तहसील एवं मरवाही तहसील) के औद्योगिक विकास हेतु दिनांक 1-4-2003 से प्रभावी विशेष प्रोत्साहन पैकेज निम्नानुसार स्वीकृत व लागू करता है.

(1) लागत पूंजी सहायता—
समस्त नये उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत लागत पूंजी सहायता उपलब्ध कराई जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा रुपये 25.00 लाख होगी.

(2) ब्याज अनुदान—
बिना किसी अधिकतम सीमा के बैंक/वित्तीय संस्था से स्थायी पूंजी निवेश हेतु लिये गये दीर्घावधि ऋण पर 10 प्रतिशत ब्याज अनुदान 5 वर्षों तक उपलब्ध कराया जायेगा. (परन्तु कम से कम 1 प्रतिशत ब्याज का भुगतान उद्योग को स्वयं करना होगा).

(3) विद्युत कर से छूट—
सभी नये उद्योगों को 15 वर्ष तक विद्युत कर से पूर्ण छूट दी जावेगी.

(4) परियोजना प्रतिवेदन लागत प्रतिपूर्ति अनुदान—
परियोजना प्रतिवेदन लागत प्रतिपूर्ति के रूप में 100 प्रतिशत अधिकतम रुपये 2 लाख तक का अनुदान सभी नये उद्योगों को उपलब्ध कराया जायेगा.

(5) भू-प्रब्याजि में रियायत—
इन क्षेत्रों में शासन/शासकीय निगम द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग स्थापना हेतु आवंटित भूमि पर देय भू-प्रब्याजि में 50 प्रतिशत की रियायत दी जायेगी.

(6) औद्योगिक नीति में घोषित सभी सुविधाएं इन क्षेत्रों में स्थापित होने वाले नये उद्योगों को पात्रतानुसार प्राप्त होंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ जैन, विशेष सचिव.

पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

प्रारंभिक अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 27 मई 2003

क्रमांक एफ-1-50/2003/18.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायत तोंगपाल, जिला-दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा) को नगर पंचायत तोंगपाल गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :—

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत तोंगपाल का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)
1.	तोंगपाल

अनुसूची-2

तोंगपाल नगर पंचायत की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत तोंगपाल की सीमाएं ही नगर पंचायत तोंगपाल की सीमाएं होंगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति कलेक्टर दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा) को उनके कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

PRELIMINARY NOTIFICATION

Raipur, the 27th May 2003

No. F-1-50/2003/18.—In exercise of powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby constitute Nagar Panchayat Tongpal in District South Bastar (Dantewada) as given in the following schedule :—

SCHEDULE-I

The particulars of the proposed Nagar Panchayat Tongpal is as under :—

Sl. No. (1)	Name of Village (2)
1.	Tongpal

SCHEDULE-II

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Tongpal is as below :—

The Boundaries of Nagar Panchayat Tongpal shall be the boundaries of existing revenue village and Gram Pânchayat Tongpal.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the Collector South Bastar (Dantewada) on any official day and time within 30 days from the date of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2003

क्रमांक एफ-1-50/2003/18.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायत बीजापुर, जिला-दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा) को नगर पंचायत बीजापुर गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :—

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत बीजापुर का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)
1.	बीजापुर

अनुसूची-2

बीजापुर नगर पंचायत की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत बीजापुर की सीमाएं ही नगर पंचायत बीजापुर की सीमाएं होंगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति कलेक्टर दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा) को उनके कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

Raipur, the 27th May 2003

No. F-1-50/2003/18.—In exercise of powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby constitute Nagar Panchayat Bijapur in District South Bastar (Dantewada) as given in the following schedule :—

SCHEDULE-I

The particulars of the proposed Nagar Panchayat Bijapur is as under :—

Sl. No. (1)	Name of Village (2)
1.	Bijapur

SCHEDULE-II

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Bijapur is as below :—

The Boundaries of Nagar Panchayat Bijapur shall be the boundaries of existing revenue village and Gram Panchayat Bijapur.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the Collector South Bastar (Dantewada) on any official day and time within 30 days from the date of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2003

क्रमांक एफ-1-50/2003/18.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायत भोपालपट्टनम्, जिला-दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा) को नगर पंचायत भोपालपट्टनम् गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है.

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत भोपालपट्टनम् का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)
1.	भोपालपट्टनम्

अनुसूची-2

भोपालपट्टनम् नगर पंचायत की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत भोपालपट्टनम् की सीमाएं ही नगर पंचायत भोपालपट्टनम् की सीमाएं होंगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति कलेक्टर दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा) को उनके कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

Raipur, the 27th May 2003

No. F-1-50/2003/18.—In exercise of powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby constitute Nagar Panchayat Bhopalpattanam in District South Bastar (Dantewada) as given in the following schedule :—

SCHEDULE-I

The particulars of the proposed Nagar Panchayat Bhopalpattanam is as under :—

Sl. No. (1)	Name of Village (2)
1.	Bhopalpattanam

SCHEDULE-II

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Bhopalpattanam is as below :—

The Boundaries of Nagar Panchayat Bhopalpattanam shall be the boundaries of existing revenue village and Gram Panchayat Bhopalpattanam.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the Collector South Bastar (Dantewada) on any official day and time within 30 days from the date of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2003

क्रमांक एफ-1-50/2003/18.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायत कूकानार, जिला-बस्तर (जगदलपुर) को नगर पंचायत कूकानार गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :—

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत कूकानार का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक	ग्राम का नाम
(1)	(2)
1.	कूकानार

अनुसूची-2

कूकानार नगर पंचायत की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत कूकानार की सीमाएं ही नगर पंचायत कूकानार की सीमाएं होंगी.

उपरोक्त आशय के ''छत्तीसगढ़ राजपत्र'' में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति कलेक्टर जिला बस्तर (जगदलपुर) को उनके कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

Raipur, the 27th May 2003

No. F-1-50/2003/18.—In exercise of powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby constitute Nagar Panchayat Kukanar in District Bastar (Jagdalpur) as given in the following schedule :—

SCHEDULE-I

The particulars of the proposed Nagar Panchayat Kukanar is as under :—

Sl. No.	Name of Village
(1)	(2)
1.	Kukanar

SCHEDULE-II

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Kukanar is as below :—

The Boundaries of Nagar Panchayat Kukanar shall be the boundaries of existing revenue village and Gram Panchayat Kukanar.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the Collector Bastar (Jagdalpur) on any official day and time within 30 days from the date of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2003

क्रमांक एफ-1-50/2003/18.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायत फरसगांव, जिला-बस्तर (जगदलपुर) को नगर पंचायत फरसगांव गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :—

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत फरसगांव का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)
1.	फरसगांव

अनुसूची-2

फरसगांव नगर पंचायत की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत फरसगांव की सीमाएं ही नगर पंचायत फरसगांव की सीमाएं होंगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति कलेक्टर जिला बस्तर (जगदलपुर) को उनके कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

Raipur, the 27th May 2003

No. F-1-50/2003/18.—In exercise of powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby constitute Nagar Panchayat Farasgaon in District Bastar (Jagdalpur) as given in the following schedule :—

SCHEDULE-I

The particulars of the proposed Nagar Panchayat Farasgaon is as under :—

Sl. No. (1)	Name of Village (2)
1.	Farasgaon

SCHEDULE-II

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Farasgaon is as below :—

The Boundaries of Nagar Panchayat Farasgaon shall be the boundaries of existing revenue village and Gram Panchayat Farasgaon.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the Collector Bastar (Jagdalpur) on any official day and time within 30 days from the date of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2003

क्रमांक एफ-1-50/2003/18.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायत बस्तर, जिला-बस्तर (जगदलपुर) को नगर पंचायत बस्तर गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :—

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत बस्तर का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक	ग्राम का नाम
(1)	(2)
1.	बस्तर

अनुसूची-2

बस्तर नगर पंचायत की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत बस्तर की सीमाएं ही नगर पंचायत बस्तर की सीमाएं होंगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति कलेक्टर जिला-बस्तर (जगदलपुर) को उनके कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

Raipur, the 27th May 2003

No. F-1-50/2003/18.—In exercise of powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby constitute Nagar Panchayat Bastar in District Bastar (Jagdalpur) as given in the following schedule :—

SCHEDULE-I

The particulars of the proposed Nagar Panchayat Bastar is as under :—

Sl. No.	Name of Village
(1)	(2)
1.	Bastar

SCHEDULE-II

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Bastar n is as below :—

The Boundaries of Nagar Panchayat Bastar shall be the boundaries of existing revenue village and Gram Panchayat Bastar.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the Collector Bastar (Jagdalpur) on any official day and time within 30 days from the date of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2003

क्रमांक एफ-1-50/2003/18.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायत कुरन्दोला, जिला-बस्तर (जगदलपुर) को नगर पंचायत कुरन्दोला गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :—

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत कुरन्दोला का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)
1.	कुरन्दोला

अनुसूची-2

कुरन्दोला नगर पंचायत की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत कुरन्दोला की सीमाएं ही नगर पंचायत कुरन्दोला की सीमाएं होंगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति कलेक्टर जिला-बस्तर (जगदलपुर) को उनके कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

Raipur, the 27th May 2003

No. F-1-50/2003/18.—In exercise of powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby constitute Nagar Panchayat Kurandola in District Bastar (Jagdalpur) as given in the following schedule :—

SCHEDULE-I

The particulars of the proposed Nagar Panchayat Kurandola is as under :—

Sl. No. (1)	Name of Village (2)
1.	Kurandola

SCHEDULE-II

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Kurandola is as below :—

The Boundaries of Nagar Panchayat Kurandola shall be the boundaries of existing revenue village and Gram Panchayat Kurandola.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the Collector Bastar (Jagdalpur) on any official day and time within 30 days from the date of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2003

क्रमांक एफ-1-50/2003/18.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायत अंतागढ़, जिला-बस्तर (जगदलपुर) को नगर पंचायत अंतागढ़ गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :—

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत अंतागढ़ का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)
1.	अंतागढ़

अनुसूची-2

अंतागढ़ नगर पंचायत की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत अंतागढ की सीमाएं ही नगर पंचायत अंतागढ़ की सीमाएं होंगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति कलेक्टर जिला-बस्तर (जगदलपुर) को उनके कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

Raipur, the 27th May 2003

No. F-1-50/2003/18.—In exercise of powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby constitute Nagar Panchayat Antagarh in District Bastar (Jagdalpur) as given in the following schedule :—

SCHEDULE-I

The particulars of the proposed Nagar Panchayat Antagarh is as under :—

Sl. No. (1)	Name of Village (2)
1.	Antagarh

SCHEDULE-II

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Antagarh is as below :—

The Boundaries of Nagar Panchayat Antagarh shall be the boundaries of existing revenue village and Gram Panchayat Antagarh.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the Collector Bastar (Jagdalpur) on any official day and time within 30 days from the date of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2003

क्रमांक एफ-1-50/2003/18.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायत पंखाजूर, जिला-बस्तर (जगदलपुर) को नगर पंचायत पंखाजूर गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :—

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत पंखाजूर का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)
1.	पंखाजूर

अनुसूची-2

पंखाजूर नगर पंचायत की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत पंखाजूर की सीमाएं ही नगर पंचायत पंखाजूर की सीमाएं होंगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति कलेक्टर जिला-बस्तर (जगदलपुर) को उनके कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

Raipur, the 27th May 2003

No. F-1-50/2003/18.—In exercise of powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby constitute Nagar Panchayat Pankhajoor in District Bastar (Jagdalpur) as given in the following schedule :—

SCHEDULE-I

The particulars of the proposed Nagar Panchayat Pankhajoor is as under :—

Sl. No. (1)	Name of Village (2)
1.	Pankhajoor

SCHEDULE-II

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Pankhajoor is as below :—

The Boundaries of Nagar Panchayat Pankhajoor shall be the boundaries of existing revenue village and Gram Panchayat Pankhajoor.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the Collector Bastar (Jagdalpur) on any official day and time within 30 days from the date of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2003

क्रमांक एफ-1-50/2003/18.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायत कोरर, जिला-उत्तर बस्तर (कांकेर) को नगर पंचायत कोरर गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :—

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत कोरर का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)
1.	कोरर

अनुसूची-2

कोरर नगर पंचायत की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत कोरर की सीमाएं ही नगर पंचायत कोरर की सीमाएं होंगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति कलेक्टर जिला-उत्तर बस्तर (कांकेर) को उनके कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

Raipur, the 27th May 2003

No. F-1-50/2003/18.—In exercise of powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby constitute Nagar Panchayat Korar in District North Bastar (Kanker) as given in the following schedule :—

SCHEDULE-I

The particulars of the proposed Nagar Panchayat Korar is as under :—

Sl. No. (1)	Name of Village (2)
1.	Korar

SCHEDULE-II

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Korar is as below :—

The Boundaries of Nagar Panchayat Korar shall be the boundaries of existing revenue village and Gram Panchayat Korar.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the Collector North Bastar (Kanker) on any official day and time within 30 days from the date of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2003

क्रमांक एफ-1-50/2003/18.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायत संबलपुर, जिला-उत्तर बस्तर (कांकेर) को नगर पंचायत संबलपुर गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :—

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत संबलपुर का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)
1.	संबलपुर

अनुसूची-2

संबलपुर नगर पंचायत की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत संबलपुर की सीमाएं ही नगर पंचायत संबलपुर की सीमाएं होंगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति कलेक्टर जिला-उत्तर बस्तर (कांकेर) को उनके कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

Raipur, the 27th May 2003

No. F-1-50/2003/18.—In exercise of powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby constitute Nagar Panchayat Sambalpur in District North Bastar (Kanker) as given in the following schedule :—

SCHEDULE-I

The particulars of the proposed Nagar Panchayat Sambalpur is as under :—

Sl. No. (1)	Name of Village (2)
1.	Sambalpur

SCHEDULE-II

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Sambalpur is as below :—

The Boundaries of Nagar Panchayat Sambalpur shall be the boundaries of existing revenue village and Gram Panchayat Sambalpur.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the Collector North Bastar (Kanker) on any official day and time within 30 days from the date of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2003

क्रमांक एफ-1-50/2003/18.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायत सरोना, जिला-उत्तर बस्तर (कांकेर) को नगर पंचायत सरोना गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :—

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत सरोना का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक	ग्राम का नाम
(1)	(2)
1.	सरोना

अनुसूची-2

सरोना नगर पंचायत की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत सरोना की सीमाएं ही नगर पंचायत सरोना की सीमाएं होंगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति कलेक्टर जिला-उत्तर बस्तर (कांकेर) को उनके कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

Raipur, the 27th May 2003

No. F-1-50/2003/18.—In exercise of powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby constitute Nagar Panchayat Sarona in District North Bastar (Kanker) as given in the following schedule :—

SCHEDULE-I

The particulars of the proposed Nagar Panchayat Sarona is as under :—

Sl. No.	Name of Village
(1)	(2)
1.	Sarona

SCHEDULE-II

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Sarona is as below :—

The Boundaries of Nagar Panchayat Sarona shall be the boundaries of existing revenue village and Gram Panchayat Sarona.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the Collector North Bastar (Kanker) on any official day and time within 30 days from the date of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2003

क्रमांक एफ-1-50/2003/18.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायत नगरी, जिला धमतरी को नगर पंचायत नगरी गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :—

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत नगरी का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)
1.	नगरी

अनुसूची-2

नगरी नगर पंचायत की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत नगरी की सीमाएं ही नगर पंचायत नगरी की सीमाएं होंगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति कलेक्टर जिला-धमतरी को उनके कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

Raipur, the 27th May 2003

No. F-1-50/2003/18.—In exercise of powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby constitute Nagar Panchayat Nagari in District Dhamtari as given in the following schedule :—

SCHEDULE-I

The particulars of the proposed Nagar Panchayat Nagari is as under :—

Sl. No. (1)	Name of Village (2)
1.	Nagari

SCHEDULE-II

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Nagari is as below :—

The Boundaries of Nagar Panchayat Nagari shall be the boundaries of existing revenue village and Gram Panchayat Nagari.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the Collector Dhamtari on any official day and time within 30 days from the date of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2003

क्रमांक एफ-1-50/2003/18.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायत देवभोग, जिला-रायपुर को नगर पंचायत देवभोग गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :—

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत देवभोग का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक	ग्राम का नाम
(1)	(2)
1.	देवभोग

अनुसूची-2

देवभोग नगर पंचायत की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत देवभोग की सीमाएं ही नगर पंचायत देवभोग की सीमाएं होंगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति कलेक्टर जिला-रायपुर को उनके कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

Raipur, the 27th May 2003

No. F-1-50/2003/18.—In exercise of powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby constitute Nagar Panchayat Devbhog District Raipur as given in the following schedule :—

SCHEDULE-I

The particulars of the proposed Nagar Panchayat Devbhog is as under :—

Sl. No.	Name of Village
(1)	(2)
1.	Devbhog

SCHEDULE-II

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Devbhog is as below :—

The Boundaries of Nagar Panchayat Devbhog shall be the boundaries of existing revenue village and Gram Panchayat Devbhog.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the Collector Raipur on any official day and time within 30 days from the date of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2003

क्रमांक एफ-1-50/2003/18.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायत गरियाबंद, जिला-रायपुर को नगर पंचायत गरियाबंद गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :—

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत गरियाबंद का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)
1.	गरियाबंद

अनुसूची-2

गरियाबंद नगर पंचायत की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत गरियाबंद की सीमाएं ही नगर पंचायत गरियाबंद की सीमाएं होंगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति कलेक्टर जिला-रायपुर को उनके कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

Raipur, the 27th May 2003

No. F-1-50/2003/18.—In exercise of powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby constitute Nagar Panchayat Gariyaband in District-Raipur as given in the following schedule :—

SCHEDULE-I

The particulars of the proposed Nagar Panchayat Gariyaband is as under :—

Sl. No. (1)	Name of Village (2)
1.	Gariyaband

SCHEDULE-II

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Gariyaband is as below :—

The Boundaries of Nagar Panchayat Gariyaband shall be the boundaries of existing revenue village and Gram Panchayat Gariyaband.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the Collector Raipur on any official day and time within 30 days from the date of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2003

क्रमांक एफ-1-50/2003/18.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायत कूरा, जिला-रायपुर को नगर पंचायत कूरा गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :—

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत कूरा का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)
1.	कूरा

अनुसूची-2

कूरा नगर पंचायत की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत कूरा की सीमाएं ही नगर पंचायत कूरा की सीमाएं होंगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति कलेक्टर जिला-रायपुर को उनके कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

Raipur, the 27th May 2003

No. F-1-50/2003/18.—In exercise of powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby constitute Nagar Panchayat Koora in District-Raipur as given in the following schedule :—

SCHEDULE-I

The particulars of the proposed Nagar Panchayat Koora is as under :—

Sl. No. (1)	Name of Village (2)
1.	Koora

SCHEDULE-II

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Koora is as below :—

The Boundaries of Nagar Panchayat Koora shall be the boundaries of existing revenue village and Gram Panchayat Koora.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the Collector Raipur on any official day and time within 30 days from the date of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2003

क्रमांक एफ-1-50/2003/18.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायत सरसिवां, जिला-रायपुर को नगर पंचायत सरसिवां गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :—

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत सरसिंवां का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)
1.	सरसिवां

अनुसूची-2

सरसिवां नगर पंचायत की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत सरसिवां की सीमाएं ही नगर पंचायत सरसिवां की सीमाएं होंगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति कलेक्टर जिला-रायपुर को उनके कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

Raipur, the 27th May 2003

No. F-1-50/2003/18.—In exercise of powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby constitute Nagar Panchayat Sarsiwa in District-Raipur as given in the following schedule :—

SCHEDULE-I

The particulars of the proposed Nagar Panchayat Sarsiwa is as under :—

Sl. No. (1)	Name of Village (2)
1.	Sarsiwa

SCHEDULE-II

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Sarsiwa is as below :—

The Boundaries of Nagar Panchayat Sarsiwa shall be the boundaries of existing revenue village and Gram Panchayat Sarsiwa.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the Collector Raipur on any official day and time within 30 days from the date of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2003

क्रमांक एफ-1-50/2003/18.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायत पलारी, जिला-दुर्ग को नगर पंचायत पलारी गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :—

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत पलारी का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)
1.	पलारी

अनुसूची-2

पलारी नगर पंचायत की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत पलारी की सीमाएं ही नगर पंचायत पलारी की सीमाएं होंगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति कलेक्टर जिला-दुर्ग को उनके कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

Raipur, the 27th May 2003

No. F-1-50/2003/18.—In exercise of powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby constitute Nagar Panchayat Palari in District-Durg as given in the following schedule :—

SCHEDULE-I

The particulars of the proposed Nagar Panchayat Palari is as under :—

Sl. No. (1)	Name of Village (2)
1.	Palari

SCHEDULE-II

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Palari is as below :—

The Boundaries of Nagar Panchayat Palari shall be the boundaries of existing revenue village and Gram Panchayat Palari.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the Collector Durg on any official day and time within 30 days from the date of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2003

क्रमांक एफ-1-50/2003/18.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायत नवागढ़, जिला-दुर्ग को नगर पंचायत नवागढ़ गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :—

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत नवागढ़ का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)
1.	नवागढ़

अनुसूची-2

नवागढ़ नगर पंचायत की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत नवागढ़ की सीमाएं ही नगर पंचायत नवागढ़ की सीमाएं होंगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति कलेक्टर जिला-दुर्ग को उनके कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

Raipur, the 27th May 2003

No. F-1-50/2003/18.—In exercise of powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby constitute Nagar Panchayat Nawagarh in District-Durg as given in the following schedule :—

SCHEDULE-I

The particulars of the proposed Nagar Panchayat Nawagarh is as under :—

Sl. No. (1)	Name of Village (2)
1.	Nawagarh

SCHEDULE-II

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Nawagarh is as below :—

The Boundaries of Nagar Panchayat Nawagarh shall be the boundaries of existing revenue village and Gram Panchayat Nawagarh.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the Collector Durg on any official day and time within 30 days from the date of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2003

क्रमांक एफ-1-50/2003/18.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायत चिखलाकसा, जिला-दुर्ग को नगर पंचायत चिखलाकसा गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :—

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत चिखलाकसा का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक	ग्राम का नाम
(1)	(2)
1.	चिखलाकसा

अनुसूची-2

चिखलाकसा नगर पंचायत की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत चिखलाकसा की सीमाएं ही नगर पंचायत चिखलाकसा की सीमाएं होंगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति कलेक्टर जिला-दुर्ग को उनके कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

Raipur, the 27th May 2003

No. F-1-50/2003/18.—In exercise of powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby constitute Nagar Panchayat Chikhlakasa in District-Durg as given in the following schedule :—

SCHEDULE-I

The particulars of the proposed Nagar Panchayat Chikhlakasa is as under :—

Sl. No.	Name of Village
(1)	(2)
1.	Chikhlakasa

SCHEDULE-II

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Chikhlalkasa is as below :—

The Boundaries of Nagar Panchayat Chikhlakasa shall be the boundaries of existing revenue village and Gram Panchayat Chikhlakasa.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the Collector Durg on any official day and time within 30 days from the date of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2003

क्रमांक एफ-1-50/2003/18.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायत सरिया, जिला-रायगढ़ को नगर पंचायत सरिया गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :—

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत सरिया का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)
1.	सरिया

अनुसूची-2

सरिया नगर पंचायत की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत सरिया की सीमाएं ही नगर पंचायत सरिया की सीमाएं होंगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति कलेक्टर जिला-रायगढ़ को उनके कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

Raipur, the 27th May 2003

No. F-1-50/2003/18.—In exercise of powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby constitute Nagar Panchayat Sariya in District-Raigarh as given in the following schedule :—

SCHEDULE-I

The particulars of the proposed Nagar Panchayat Sariya is as under :—

Sl. No. (1)	Name of Village (2)
1.	Sariya

SCHEDULE-II

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Sariya is as below :—

The Boundaries of Nagar Panchayat Sariya shall be the boundaries of existing revenue village and Gram Panchayat Sariya.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the Collector Raigarh on any official day and time within 30 days from the date of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2003

क्रमांक एफ-1-50/2003/18.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुएं, राज्य शासन एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायत बरमकेला, जिला-रायगढ़ को नगर पंचायत बरमकेला गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :—

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत बरमकेला का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक	ग्राम का नाम
(1)	(2)
1.	बरमकेला

अनुसूची-2

बरमकेला नगर पंचायत की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत बरमकेला की सीमाएं ही नगर पंचायत बरमकेला की सीमाएं होंगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति कलेक्टर जिला-रायगढ़ को उनके कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

Raipur, the 27th May 2003

No. F-1-50/2003/18.—In exercise of powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby constitute Nagar Panchayat Baramkela in District-Raigarh as given in the following schedule :—

SCHEDULE-I

The particulars of the proposed Nagar Panchayat Baramkela is as under :—

Sl. No.	Name of Village
(1)	(2)
1.	Baramkela

SCHEDULE-II

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Baramkela is as below :—

The Boundaries of Nagar Panchayat Baramkela shall be the boundaries of existing revenue village and Gram Panchayat Baramkela.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the Collector Raigarh on any official day and time within 30 days from the date of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2003

क्रमांक एफ-1-50/2003/18.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायत कोसिर, जिला-रायगढ़ को नगर पंचायत कोसिर गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :—

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत कोसिर का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)
1.	कोसिर

अनुसूची-2

कोसिर नगर पंचायत की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत कोसिर की सीमाएं ही नगर पंचायत कोसिर की सीमाएं होंगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति कलेक्टर जिला-रायगढ़ को उनके कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

Raipur, the 27th May 2003

No. F-1-50/2003/18.—In exercise of powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby constitute Nagar Panchayat Kosir in District-Raigarh as given in the following schedule :—

SCHEDULE-I

The particulars of the proposed Nagar Panchayat Kosir is as under :—

Sl. No. (1)	Name of Village (2)
1.	Kosir

SCHEDULE-II

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Kosir is as below :—

The Boundaries of Nagar Panchayat Kosir shall be the boundaries of existing revenue village and Gram Panchayat Kosir.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the Collector Raigarh on any official day and time within 30 days from the date of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2003

क्रमांक एफ-1-50/2003/18.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायत पाण्डातराई, जिला-कबीरधाम (कवर्धा) को नगर पंचायत पाण्डातराई गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :—

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत पाण्डातराई का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक	ग्राम का नाम
(1)	(2)
1.	पाण्डातराई

अनुसूची-2

पाण्डातराई नगर पंचायत की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत पाण्डातराई की सीमाएं ही नगर पंचायत पाण्डातराई की सीमाएं होंगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति कलेक्टर जिला-कबीरधाम (कवर्धा) को उनके कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

Raipur, the 27th May 2003

No. F-1-50/2003/18.—In exercise of powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby constitute Nagar Panchayat Pandatarai in District-Kabirdham (Kawardha) as given in the following schedule :—

SCHEDULE-I

The particulars of the proposed Nagar Panchayat Pandatarai is as under :—

Sl. No.	Name of Village
(1)	(2)
1.	Pandatarai

SCHEDULE-II

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Pandatarai is as below :—

The Boundaries of Nagar Panchayat Pandatarai shall be the boundaries of existing revenue village and Gram Panchayat Pandatarai.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the Collector Kabirdham (Kawardha) on any official day and time within 30 days from the date of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2003

क्रमांक एफ-1-50/2003/18.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायत शंकरगढ़ जिला-सरगुजा को नगर पंचायत शंकरगढ़ गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :—

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत शंकरगढ़ का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक	ग्राम का नाम
(1)	(2)
1.	शंकरगढ़

अनुसूची-2

शंकरगढ़ नगर पंचायत की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत शंकरगढ़ की सीमाएं ही नगर पंचायत शंकरगढ़ की सीमाएं होंगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति कलेक्टर जिला-सरगुजा को उनके कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

Raipur, the 27th May 2003

No. F-1-50/2003/18.—In exercise of powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby constitute Nagar Panchayat Shankargarh in District-Sarguja as given in the following schedule :—

SCHEDULE-I

The particulars of the proposed Nagar Panchayat Shankargarh is as under :—

Sl. No.	Name of Village
(1)	(2)
1.	Shankargarh

SCHEDULE-II

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Shankargarh is as below :—

The Boundaries of Nagar Panchayat Shankargarh shall be the boundaries of existing revenue village and Gram Panchayat Shankargarh.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the Collector Sarguja on any official day and time within 30 days from the date of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2003

क्रमांक एफ-1-50/2003/18.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायत भैयाथान, जिला-सरगुजा को नगर पंचायत भैयाथान गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :—

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत भैयाथान का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक	ग्राम का नाम
(1)	(2)
1.	भैयाथान

अनुसूची-2

भैयाथान नगर पंचायत की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत भैयाथान की सीमाएं ही नगर पंचायत भैयाथान की सीमाएं होंगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति कलेक्टर जिला-सरगुजा को उनके कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

Raipur, the 27th May 2003

No. F-1-50/2003/18.—In exercise of powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby constitute Nagar Panchayat Bhaiyathan in District-Sarguja as given in the following schedule :—

SCHEDULE-I

The particulars of the proposed Nagar Panchayat Bhaiyathan is as under :—

Sl. No.	Name of Village
(1)	(2)
1.	Bhaiyathan

SCHEDULE-II

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Bhaiyathan is as below :—

The Boundaries of Nagar Panchayat Bhaiyathan shall be the boundaries of existing revenue village and Gram Panchayat Bhaiyathan.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the Collector Sarguja on any official day and time within 30 days from the date of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2003

क्रमांक एफ-1-50/2003/18.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायत जनकपुर, जिला-कोरिया को नगर पंचायत जनकपुर गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :—

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत जनकपुर का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक	ग्राम का नाम
(1)	(2)
1.	जनकपुर

अनुसूची-2

जनकपुर नगर पंचायत की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत जनकपुर की सीमाएं ही नगर पंचायत जनकपुर की सीमाएं होंगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति कलेक्टर जिला-कोरिया को उनके कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

Raipur, the 27th May 2003

No. F-1-50/2003/18.—In exercise of powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby constitute Nagar Panchayat Janakpur in District-Korea as given in the following schedule :—

SCHEDULE-I

The particulars of the proposed Nagar Panchayat Janakpur is as under :—

Sl. No.	Name of Village
(1)	(2)
1.	Janakpur

SCHEDULE-II

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Janakpur is as below :—

The Boundaries of Nagar Panchayat Janakpur shall be the boundaries of existing revenue village and Gram Panchayat Janakpur.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the Collector Korea on any official day and time within 30 days from the date of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2003

क्रमांक एफ-1-50/2003/18.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायत खोंगापानी, जिला-कोरिया को नगर पंचायत खोंगापानी गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :—

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत खोंगापानी का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)
1.	खोंगापानी

अनुसूची-2

खोंगापानी नगर पंचायत की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत खोंगापानी की सीमाएं ही नगर पंचायत खोंगापानी की सीमाएं होंगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति कलेक्टर जिला-कोरिया को उनके कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

Raipur, the 27th May 2003

No. F-1-50/2003/18.—In exercise of powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby constitute Nagar Panchayat Khongapani in District-Korea as given in the following schedule :—

SCHEDULE-I

The particulars of the proposed Nagar Panchayat Khongapani is as under :—

Sl. No. (1)	Name of Village (2)
1.	Khongapani

SCHEDULE-II

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Khongapani is as below :—

The Boundaries of Nagar Panchayat Khongapani shall be the boundaries of existing revenue village and Gram Panchayat Khongapani.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the Collector Korea on any official day and time within 30 days from the date of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2003

क्रमांक एफ-1-50/2003/18.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायत लेदरी-तेंदूडांड़, जिला-कोरिया को नगर पंचायत लेदरी-तेंदूडांड़ गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :—

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत लेदरी-तेंदूडांड़ का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक	ग्राम का नाम
(1)	(2)
1.	लेदरी-तेंदूडांड़

अनुसूची-2

लेदरी-तेंदूडांड़ नगर पंचायत की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत लेदरी-तेंदूडांड़ की सीमाएं ही नगर पंचायत लेदरी-तेंदूडांड़ की सीमाएं होंगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति कलेक्टर जिला-कोरिया को उनके कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते है.

Raipur, the 27th May 2003

No. F-1-50/2003/18.—In exercise of powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby constitute Nagar Panchayat Ladari-Tendudand in District-Korea as given in the following schedule :—

SCHEDULE-I

The particulars of the proposed Nagar Panchayat Ladari-Tendudand is as under :—

Sl. No.	Name of Village
(1)	(2)
1.	Ladari-Tendudand

SCHEDULE-II

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Ladari-Tendudand is as below :—

The Boundaries of Nagar Panchayat Ladari-Tendudand shall be the boundaries of existing revenue village and Gram Panchayat Ladari-Tendudand.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the Collector Korea on any official day and time within 30 days from the date of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2003

क्रमांक एफ-1-50/2003/18.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायत पांड़ादाह, जिला-राजनांदगांव को नगर पंचायत पांड़ादाह गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :—

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत पांड़ादाह का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)
1.	पांड़ादाह

अनुसूची-2

पांड़ादाह नगर पंचायत की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत पांड़ादाह की सीमाएं ही नगर पंचायत पांड़ादाह की सीमाएं होंगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति कलेक्टर जिला-राजनांदगांव को उनके कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

Raipur, the 27th May 2003

No. F-1-50/2003/18.—In exercise of powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby constitute Nagar Panchayat Padadah in District-Rajnandgaon as given in the following schedule :—

SCHEDULE-I

The particulars of the proposed Nagar Panchayat Padadah is as under :—

Sl. No. (1)	Name of Village (2)
1.	Padadah

SCHEDULE-II

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Padadah is as below :—

The Boundaries of Nagar Panchayat Padadah shall be the boundaries of existing revenue village and Gram Panchayat Padadah.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the Collector Rajnandgaon on any official day and time within 30 days from the date of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2003

क्रमांक एफ-1-50/2003/18.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायत साल्हेवारा, जिला-राजनांदगांव को नगर पंचायत साल्हेवारा गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :—

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत साल्हेवारा का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)
1.	साल्हेवारा

अनुसूची-2

साल्हेवारा नगर पंचायत की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत साल्हेवारा की सीमाएं ही नगर पंचायत साल्हेवारा की सीमाएं होंगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई भी स्थानीये प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति कलेक्टर जिला-राजनांदगांव को उनके कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

Raipur, the 27th May 2003

No. F-1-50/2003/18.—In exercise of powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby constitute Nagar Panchayat Salhewara in District-Rajnandgaon as given in the following schedule :—

SCHEDULE-I

The particulars of the proposed Nagar Panchayat Salhewara is as under :—

Sl. No. (1)	Name of Village (2)
1.	Salhewara

SCHEDULE-II

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Salhéwara is as below :—

The Boundaries of Nagar Panchayat Salhewara shall be the boundaries of existing revenue village and Gram Panchayat Salhewara.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the Collector Rajnandgaon on any official day and time within 30 days from the date of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2003

क्रमांक एफ-1-50/2003/18.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायत रामपुर, जिला-राजनांदगांव को नगर पंचायत रामपुर गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :—

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत रामपुर का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक	ग्राम का नाम
(1)	(2)
1.	रामपुर

अनुसूची-2

रामपुर नगर पंचायत की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत रामपुर की सीमाएं ही नगर पंचायत रामपुर की सीमाएं होंगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति कलेक्टर जिला-राजनांदगांव को उनके कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

Raipur, the 27th May 2003

No. F-1-50/2003/18.—In exercise of powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby constitute Nagar Panchayat Rampur in District-Rajnandgaon as given in the following schedule :—

SCHEDULE-I

The particulars of the proposed Nagar Panchayat Rampur is as under :—

Sl. No.	Name of Village
(1)	(2)
1.	Rampur

SCHEDULE-II

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Rampur is as below :—

The Boundaries of Nagar Panchayat Rampur shall be the boundaries of existing revenue village and Gram Panchayat Rampur.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the Collector Rajnandgaon on any official day and time within 30 days from the date of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2003

क्रमांक एफ-1-50/2003/18.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायत छुरिया, जिला-राजनांदगांव को नगर पंचायत छुरिया गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :—

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत छुरिया का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)
1.	छुरिया

अनुसूची-2

छुरिया नगर पंचायत की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत छुरिया की सीमाएं ही नगर पंचायत छुरिया की सीमाएं होंगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति कलेक्टर जिला-राजनांदगांव को उनके कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

Raipur, the 27th May 2003

No. F-1-50/2003/18.—In exercise of powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby constitute Nagar Panchayat Chhuriya in District-Rajnandgaon as given in the following schedule :—

SCHEDULE-I

The particulars of the proposed Nagar Panchayat Chhuriya is as under :—

Sl. No. (1)	Name of Village (2)
1.	Chhuriya

SCHEDULE-II

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Chhuriya is as below :—

The Boundaries of Nagar Panchayat Chhuriya shall be the boundaries of existing revenue village and Gram Panchayat Chhuriya.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the Collector Rajnandgaon on any official day and time within 30 days from the date of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2003

क्रमांक एफ-1-50/2003/18.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायत तिफरा, जिला-बिलासपुर को नगरपालिका परिषद् तिफरा गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :—

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगरपालिका परिषद् तिफरा का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)
1.	तिफरा

अनुसूची-2

तिफरा नगरपालिका परिषद् की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत तिफरा की सीमाएं ही नगरपालिका परिषद् तिफरा की सीमाएं होंगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति कलेक्टर जिला-बिलासपुर को उनके कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

Raipur, the 27th May 2003

No. F-1-50/2003/18.—In exercise of powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby constitute Municipal Council Tifra in District-Bilaspur as given in the following schedule :—

SCHEDULE-I

The particulars of the proposed Municipal Council Tifra is as under :—

Sl. No. (1)	Name of Village (2)
1.	Tifra

SCHEDULE-II

The boundaries of the proposed Municipal Council Tifra is as below :—

The Boundaries of Municipal Council Tifra shall be the boundaries of existing revenue village and Gram Panchayat Tifra.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the Collector Bilaspur on any official day and time within 30 days from the date of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2003

क्रमांक एफ-1-50/2003/18.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायत सिरगिट्टी, जिला-बिलासपुर को नगर पंचायत सिरगिट्टी गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :—

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत सिरगिट्टी का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक	ग्राम का नाम
(1)	(2)
1.	सिरगिट्टी

अनुसूची-2

सिरगिट्टी नगर पंचायत की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत सिरगिट्टी की सीमाएं ही नगर पंचायत सिरगिट्टी की सीमाएं होंगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति कलेक्टर जिला-बिलासपुर को उनके कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

Raipur, the 27th May 2003

No. F-1-50/2003/18.—In exercise of powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby constitute Nagar Panchayat Sirgitti in District-Bilaspur as given in the following schedule :—

SCHEDULE-I

The particulars of the proposed Nagar Panchayat Sirgitti is as under :—

Sl. No.	Name of Village
(1)	(2)
1.	Sirgitti

SCHEDULE-II

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Sirgitti is as below :—

The Boundaries of Nagar Panchayat Sirgitti shall be the boundaries of existing revenue village and Gram Panchayat Sirgitti.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the Collector Bilaspur on any official day and time within 30 days from the date of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2003

क्रमांक एफ-1-50/2003/18.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायत तुमगांव, जिला-महासमुंद को नगर पंचायत तुमगांव गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :—

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत तुमगांव का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)
1.	तुमगांव

अनुसूची-2

तुमगांव नगर पंचायत की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत तुमगांव की सीमाएं ही नगर पंचायत तुमगांव की सीमाएं होंगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति कलेक्टर जिला-महासमुंद को उनके कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

Raipur, the 27th May 2003

No. F-1-50/2003/18.—In exercise of powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby constitute Nagar Panchayat Tumgaon in District-Mahasamund as given in the following schedule :—

SCHEDULE-I

The particulars of the proposed Nagar Panchayat Tumgaon is as under :—

Sl. No. (1)	Name of Village (2)
1.	Tumgaon

SCHEDULE-II

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Tumgaon is as below :—

The Boundaries of Nagar Panchayat Tumgaon shall be the boundaries of existing revenue village and Gram Panchayat Tumgaon.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the Collector Mahasamund on any official day and time within 30 days from the date of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अल्ताफ अहमद, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 मई 2003

क्रमांक 883/1018/आपर्या/2003.—जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 6 सन् 1974) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से परामर्श करने के पश्चात् जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) (सम्मति) छत्तीसगढ़ नियम, 1975 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 4 के उप-नियम (V) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया-जाए, अर्थात् :—

"(V) के आवेदन प्रारूप के साथ अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट निम्नलिखित सम्मति फीस सम्यक् रूप से दी जावेगी :—

अनुसूची

निम्नलिखित का विनिधान करने वाले उद्योग	रुपये
(1)	(2)
1. रुपये 1000 करोड़ से अधिक	10,00,000
2. रुपये 500 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 1000 करोड़ तक	5,00,000
3. रुपये 200 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 500 करोड़ तक	2,50,000
4. रुपये 100 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 200 करोड़ तक	1,50,000
5. रुपये 50 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 100 करोड़ तक	1,00,000
6. रुपये 10 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 50 करोड़ तक	80,000
7. रुपये 3 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 10 करोड़ तक	60,000
8. रुपये 2 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 3 करोड़ तक	3,000
9. रुपये 1 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 2 करोड़ तक	2,000
10. रुपये 1 करोड़ तक	1,000

उपरोक्त सम्मति फीस में प्रथम वर्ष की सम्मति नवीनीकरण फीस सम्मिलित है."

(2) नियम 5 के उप-नियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(5) आवेदक निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये अनुसार मण्डल की वार्षिक "सम्मति नवीनीकरण फीस" (प्रथम वर्ष की फीस छोड़कर) का संदाय करेगा, अर्थात् :—

अनुसूची

(क)	निम्नलिखित का विनिधान करने वाले उद्योग (1)	रुपये (2)
1.	रुपये 1000 करोड़ से अधिक	2,50,000
2.	रुपये 500 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 1000 करोड़ तक	1,50,000
3.	रुपये 200 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 500 करोड़ तक	1,00,000
4.	रुपये 100 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 200 करोड़ तक	75,000
5.	रुपये 50 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 100 करोड़ तक	50,000
6.	रुपये 10 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 50 करोड़ तक	35,000
7.	रुपये 3 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 10 करोड़ तक	25,000
8.	रुपये 2 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 3 करोड़ तक	2,000
9.	रुपये 1 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 2 करोड़ तक	1,000
10.	रुपये 1 करोड़ तक	500

(ख) नैसर्गिक संसाधन से जल प्राप्त करने वाले तथा सरिताओं में बाहिस्राव का निस्सारण करने वाले स्थानीय निकायों प्रभार्य वार्षिक सम्मति नवीनीकरण फीस तथा सम्मति फीस निम्नानुसार होगी :—

1.	नगर निगम.	रुपये 3,000
2.	नगरपालिका	रुपये 2,000
3.	नगर पंचायत	रुपये 1,000
4.	अन्य	रुपये 500

उपरोक्त सम्मति फीस तथा सम्मति नवीनीकरण फीस इस अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे;

परंतु इस अधिसूचना के प्रकाशन के पूर्व प्राप्त सम्मति आवेदन और सम्मति नवीनीकरण आवेदन, आवेदन के लंबित रहने के कारण बढ़ी हुई फीस के अंतर का संदाय करने के दायित्वाधीन नहीं होंगे, तथा इस अधिसूचना के प्रकाशन के पूर्व प्राप्त सम्मति नवीनीकरण आवेदन में वर्तमान अनुसूची अनुसार फीस संदाय होगा."

Raipur, the 31st May 2003

No. 883/1018/आपर्या/2003.— In exercise of the powers conferred by Section 64 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (No. 6 of 1974), the State Government, after consultation with the Chhattisgarh Environment Conservation Board, hereby makes the following further amendments in the Water (Prevention and Control of Pollution) (Consent) Chhattisgarh Rules, 1975, namely :—

AMENDMENTS

In the said Rules,—

(1) For sub-rule (v) of rule 4, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(V) The application form should be duly accompained with the consent fee as specified in the following schedule :—

SCHEDULE

Industries having an investment of (1)	Rupees (2)
1. More than Rupees 1000 Crores	10,00,000
2. More than Rupees 500 Crores but Upto Rupees 1000 Crores	5,00,000
3. More than Rupees 200 Crores but Upto Rupees 500 Crores	2,50,000
4. More than Rupees 100 Crores but Upto Rupees 200 Crores	1,50,000
5. More than Rupees 50 Crores but Upto Rupees 100 Crores	1,00,000
6. More than Rupees 10 Crores but Upto Rupees 50 Crores	80,000
7. More than Rupees 3 Crores but Upto Rupees 10 Crores	60,000
8. More than Rupees 2 Crores but Upto Rupees 3 Crores	3,000
9. More than Rupees 1 Crores but Upto Rupees 2 Crores	2,000
10. Upto Ruppes 1 Crore	1,000

The above consent fee includes the consent renewal fee for the first year."

(2) For sub-rule (5) of rule 5, the following sub-rule shall be substituted namely :—

"(5) the applicant shall pay an annual "Consent renewal fees" (except the fee for the first year) to the Board as specified in the following schedule namely :—

SCHEDULE

(A)

	Industries having an investment of (1)	Rupees (2)
1.	More than Rupees 1000 Crores	2,50,000
2.	More than Rupees 500 Crores but Upto Rupees 1000 Crores	1,50,000
3.	More than Rupees 200 Crores but Upto Rupees 500 Crores	1,00,000
4.	More than Rupees 100 Crores but Upto Rupees 200 Crores	75,000
5.	More than Rupees 50 Crores but Upto Rupees 100 Crores	50,000
6.	More than Rupees 10 Crores but Upto Rupees 50 Crores	35,000
7.	More than Rupees 3 Crores but Upto Rupees 10 Crores	25,000
8.	More than Rupees 2 Crores but Upto Rupees 3 Crores	2,000
9.	More than Rupees 1 Crores but Upto Rupees 2 Crores	1,000
10.	Upto Rupees 1 Crore	500

(B) Annual consent renewal fee and consent fee chargeable from Local bodies extracting water from natural resources and discharging effluent into streams shall be as under :—

1.	Municipal Corporation	Rupees 3,000
2.	Municipal Council	Rupees 2,000
3.	Nagar Panchayat	Rupees 1,000
4.	Other	Rupees 500

The above Consent fee and Consent Renewal fee will be applicable from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette;

Provided that the consent application and consent renewal application received prior to the publication of this notification, shall not be liable for the excess payment of difference of fees owing to pendency of application.

Provided further the renewal applications received prior to the publication of this notification, shall pay fees according to the existing schedule."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एस. दीक्षित, अवर सचिव.

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 जून 2003

क्रमांक एफ 73-63/2003/उ. शि./38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है जो "यूनिवर्सिटी ऑफ सेन्ट्रल इंडिया, रायपुर" कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा "यूनिवर्सिटी ऑफ सेन्ट्रल इंडिया, रायपुर" को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 9th June 2003

No. F 73-63/2003/H E/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Viswavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/ Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "University of Central India, Raipur" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "University of Central India, Raipur" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

रायपुर, दिनांक 28 जून 2003

क्रमांक एफ 73-78/2003/उ. शि./38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है जो "इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फॉर ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन" कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा "इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फॉर ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन" को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 28th June 2003

No. F 73-78/2003/H E/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Viswavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/ Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "INTERNATIONAL UNIVERSITY FOR HUMAN TRANSFORMATION (IUHT), RAIPUR" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "INTERNATIONAL UNIVERSITY FOR HUMAN TRANSFORMATION (IUHT), RAIPUR" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2003

क्रमांक एफ 73-80/2003/उ. शि./38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है जो "कलिंगा यूनिवर्सिटी" कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा "कलिंगा यूनिवर्सिटी" को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 1st July 2003

No. F 73-80/2003/H E/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Viswavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/ Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

रायपुर, दिनांक 2 जुलाई 2003

क्रमांक एफ 73-74/2003/उ. शि./38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है जो ''आचार्य आर्यभटा यूनिवर्सिटी'' कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा ''आचार्य आर्यभटा यूनिवर्सिटी'' को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 2nd July 2003

No. F 73-74/2003/H E/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Viswavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "ACHARYA ARYABHATA UNIVERSITY, RAIPUR" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "ACHARYA ARYABHATA UNIVERSITY, RAIPUR" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

रायपुर, दिनांक 30 मई 2003

क्रमांक एफ 73-64/2003/उ. शि./38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है जो ''राय यूनिवर्सिटी, रायपुर'' कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा ''राय यूनिवर्सिटी, रायपुर'' को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 30th May 2003

No. F 73-64/2003/H E/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Viswavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/ Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "RAI UNIVERSITY RAIPUR" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "RAI UNIVERSITY RAIPUR" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एस. डेहरे, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 24 मई 2003

क्रमांक 747/ले. पा./भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुंडरदेही	डंगनिया	1.89	कार्यपालन यंत्री, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	पचपेढ़ी जलाशय निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन (मु. दुर्ग) में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 24 मई 2003

क्रमांक 748/ले. पा./भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुंडरदेही	परसदा	7.50	कार्यपालन यंत्री, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	पचपेढ़ी जलाशय निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन (मु. दुर्ग) में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 6 जून 2003

क्रमांक 831/ले. पा./भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	पाटन	खुड़मुड़ी	7.94	कार्यपालन यंत्री, तांदुला ज. सं. अनु. क्र. 3, दुर्ग.	नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन (मु. दुर्ग) में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, कलेक्टर एवं पदेन अतिरिक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 19 जून 2002

क्र. 3685/02/अ-82/99-2000.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दन्तेवाड़ा
- (ख) तहसील-बीजापुर
- (ग) नगर/ग्राम-बीजापुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.02 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
918/1	0.02
योग	0.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-पंप हाऊस निर्माण बीजापुर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बीजापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. पैकरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.